हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

वीरवार, 29 अगस्त, 2024/7 भाद्रपद, 1946(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएगें:

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित का 52वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित)।

3. सदन की समिति का प्रतिवेदन:

श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2024-25), समिति का **24वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा)** जोकि समिति के **द्वितीय मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2022-23) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा **मांग संख्या: 31-जनजातीय विकास विभाग** की वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों की संवीक्षा से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का सप्तम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा।

5. सांविधिक ईकाईयों हेतु मनोनयन:

(1) डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-

"That in pursuance to the provisions contained in Section 26 and 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, three women members from amongst themselves to be nominated as Ex-officio Members of the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board."

(2) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-

"हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 4(1) की उप-धारा 11(एच) के प्रावधान के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

6. पारित संकल्प पर कृत्त कार्रवाई:

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, "दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को श्री सुख राम चौधरी व श्री कुलदीप सिंह राठौर, सदस्य द्वारा नियम-101 के अन्तर्गत गैर-सरकारी दिवस पर प्रस्तुत संकल्प जोकि सर्वसम्मति से सदन द्वारा पारित किया गया था, को नियम-116 के अन्तर्गत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से सदन को अवगत करवायेंगे।

7. गैर-सरकारी सदस्य कार्य:

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 28 अगस्त, 2024 **सचिव।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'सकंल्प'

षष्टम् सत्र

वीरवार, दिनांक 29 अगस्त, 2024 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची :

क्रम सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1	डॉ० जनक राज श्री सुख राम चौधरी	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि जलवायु परिर्वतन के मध्यनजर वन महोत्सव के माध्यम से पौधरोपण तथा कार्बन क्रेडिट पर यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"
2	श्री जीत राम कटवाल	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे।"
3	श्री राकेश जम्वाल	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि BBMB द्वारा निर्मित व संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के निवारण हेतु यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"
4	श्री जीत राम कटवाल	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि भारतीय प्रजातन्त्र व कल्याणकारी राज्य में चिन्हित संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा विषमताओं के निवारण बारे यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।"

सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।